BABASAHEB BHIMRAO AMBEDKAR UNIVERSITY

# बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय

(केन्द्रीय विश्वविद्यालय)

विद्या विहार, रायबरेली रोड, लखनऊ – 226 025

# BABASAHEB BHIMRAO AMBEDKAR UNIVERSITY

(A Central University)

Vidya Vihar, Raebareli Road, Lucknow – 226 025

Dated-13-09-2022

Letter no-879 /BBAU/2022

## परिपत्र

### विषयक: दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति

उ०प्र० शासन द्वारा संचालित दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना वर्ष –2022-23 हेतु आनलाइन आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ की जा चुकी है, संबंधित जरूरी नियम व शर्ते एवं आनलाइन फार्म भरने की सम्पूर्ण प्रक्रिया छात्रवृत्ति की वेबसाइट www.scholarship.up.gov.in पर उपलब्ध है। इस संबंध में सभी पात्र अनु०जाति/अनु०ज०जाति/सामान्य/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक वर्ग के छात्र/छात्राओं से अनुरोध है कि वे दी गई उपरोक्त वेबसाइट पर छात्रवृत्ति हेतु दिये गये विशेष निर्देशों को ध्यान में रखते हुए आनलाइन फार्म भरें एवं भरे हुए फार्म का प्रिंटआउट लेकर उसके साथ निम्नलिखित अभिप्रमाणित प्रपत्र जैसे जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, राशन कार्ड /परिवार रजिसट्रेशन की नकल, पाठ्यक्रम की फीस रसीद, हास्टल की फीस रसीद, शपथ पत्र एवं अन्य जरूरी दस्तावेज इत्यादि को संलग्न करके संबंधित विभागाध्यक्ष/समन्वयक द्वारा अभिप्रमाणित करवाकर छात्र स्वयं ही अपने फार्म को नोडल अधिकारी, दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति के कार्यालय अर्थात प्रभारी अनु०जा०/अनु०ज०जा० प्रकोष्ठ (एससी/एसटी सेल) में सभी कार्य–दिवसों में 07/11/2022 तक जमा करना सुनिश्चित करें। अंतिम तिथि के पश्चात् प्राप्त किसी भी आवेदन फार्म पर प्रकोष्ठ द्वारा कोई भी कार्यवाही नहीं की जा सकेगी, जिसके लिए छात्र स्वयं जिम्मेदार होगा।

(क) **आवेदन फार्म के साथ संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज/प्रपत्रः–**

- तहसील द्वारा जारी किया हुआ जाति प्रमाण प्रमाण पत्र की अभिप्रमाणित प्रतिलिपि साथ ही साथ आनलाइन सत्यापित प्रमाणपत्र की प्रतिलिपि।
- तहसील द्वारा जारी किये गये आय प्रमाण प्रमाण पत्र की अभिप्रमाणित प्रतिलिपि साथ ही आनलाइन सत्यापित प्रमाणपत्र की प्रतिलिपि। (अनु०जाति/अनु०ज०जाति के लिए आय की सीमा रू० 2-50 लाख वार्षिक एवं सामान्य/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक के लिए आय की सीमा रू० 2-00 लाख वार्षिक)।
- खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा जारी किया हुआ राशन कार्ड की अभिप्रमाणित प्रतिलिपि अथवा पंचायती राज विभाग द्वारा जारी किया हुआ परिवार रजिस्टर की अभिप्रमाणित नकल।
- हाईस्कूल से लेकर गतवर्ष तक उत्तीर्ण सभी अंकपत्र/प्रमाणपत्र की अभिप्रमाणित प्रतिलिपि।
- पाठ्यक्रम की फीस रसीद एवं हास्टल की फीस रसीद की अभिप्रमाणित प्रतिलिपि।
- विभागाध्यक्ष/समन्वयक द्वारा सत्यापित फोटो मोहर के साथ।
- आवेदन पत्र के साथ दिये हुए संबंधित दस्तावेज/प्रपत्र की अभिप्रमाणित प्रतिलिपि।
- छात्र के आधार कार्ड की अभिप्रमाणित प्रतिलिपि।
- छात्र द्वारा बैंक में खोले गये खाते की पासबुक जिस पर छात्र का नाम व खाता संख्या एवं IFSC कोड अंकित हो, की अभिप्रमाणित प्रतिलिपि।

जारी.....2

(ख) दिशा निर्देशः–

- केवल वे ही छात्र/छात्रा दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति के लिए पात्र होंगे जो उत्तर प्रदेश राज्य से संबन्धित हैं अर्थात स्थायी निवासी है।
- ऐसे अभ्यर्थी पात्र नही होंगे जो शिक्षा का एक चरण उत्तीर्ण करने के पश्चात शिक्षा के उसी चरण में किसी दूसरे विषय में अध्ययन करने लगें। उदाहरणार्थ एम.ए/एम.एस.सी./एम.टेक/एल.एल.एम. करने के बाद किसी दूसरे विषय मे एम.ए./एम.एस.सी./एम.टेक/एल.एल.एम. करने लगें ।
- यदि दो कक्षाओं के बीच गैप हो तो तद्आशय का शपथ पत्र नोटरी द्वारा प्रमाणित करवाकर संलग्न करें।
- वे अभ्यर्थी जो उत्तर प्रदेश राज्य के स्थायी निवासी नही हैं, वे अपने राज्य में छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु आवेदन करेंगे साथ ही अपने राज्य के छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की वेबसाइट का अवलोकन करते रहेंगे तथा ससमय आवेदन करना सुनिश्चित करें।
- दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत आनलाइन आवेदन करने वाले छात्रों का बैंक खाता उनके आधार कार्ड से लिंक/सीडेड तथा खाते की **NPCI** पर मैपिंग होना आवश्यक है अन्यथा छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति प्राप्त नही होगी।
- समस्त अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि छात्रवृत्ति के आनलाइन आवेदन में खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा जारी किया हुआ राशन कार्ड की पंजीकरण संख्या अथवा पंचायती राज विभाग द्वारा जारी किया हुआ परिवार रजिस्टर की पंजीकरण संख्या भरना सुनिश्चित करें ।
- अनु० जा०/अनु०ज०जा० के पात्र छात्रों को सपथ पत्र परिशिष्ट 'ख' के अनुरूप को सम्पूर्ण भरकर एवं हस्ताक्षरित (प्रथम पक्ष–यथा छात्र व गवाह एवं द्वितीय पक्ष–यथा विभागाध्यक्ष/पाठ्यक्रम समन्वयक व गवाह) प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें ।
- यदि एक ही आय प्रमाण–पत्र पर छात्र/छात्रा के भाई अथवा बहन द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम/संस्था में उपयोग किया जाता है तो ऐसी स्थिति में संबन्धित छात्र/छात्रा को निर्गत समय–सरिणी के अनुसार संशोधन की तिथि आने पर एक प्रार्थना पत्र अपने आवेदन फार्म के साथ संलग्न करना होगा जिसमे कि छात्र/छात्रा के भाई/बहन का रजिस्ट्रेशन संख्या, पाठ्यक्रम का नाम एवं संस्था का नाम अंकित करना होगा साथ ही भाई/बहन के आवेदन फार्म की प्रतिलिपि भी संलग्न करना होगा।
- शपथ पत्र का प्रारूप एवं अन्य जानकारी **www.scholarship.up.gov.in** पर एवं विश्वविद्यालय की वेबसाइट **www.bbau.ac.in** पर उपलब्ध हैं ।
- छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति हेतु आवेदन करने में यदि कोई समस्या आ रही है तो छात्र/छात्राएँ अनु० जाति/अनु० जनजाति प्रकोष्ठ (एससी/एसटी सेल) में संपर्क कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
- सभी पात्र छात्र/छात्राओं से अनुरोध है कि वे अपना ऑनलाइन आवेदन फॉर्म सावधानी पूर्वक स्वयं ही भरें। अपूर्ण आवेदन फॉर्म को निरस्त कर दिया जाएगा। किसी भी प्रकार के त्रुटि के लिए छात्र/छात्राएं स्वयं जिम्मेदार होंगे ।

कुलसचिव

संलग्नकः–

1. जॉच सूची व परिशिष्ट "ख", "घ" एवं "च"।
2. छात्रों हेतु महत्वपूर्ण निर्देश।
3. संशोधित समय–सरिणी।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत ।

1. समस्त विभागों/पाठ्यक्रमों के विभागाध्यक्ष/समन्वयक को इस आशय के साथ कि संबंधित दस्तावेजों का निरीक्षण कर जांच सूची पूर्ण करते हुए आवेदन फॉर्म अग्रसारित करना चाहें तथा पात्र छात्रों को अग्रिम तिथि के 10 दिन पूर्व में ही यथाशीघ्र फॉर्म भरने के लिए प्रेरित करें।
2. अधिष्ठाता, छात्र कल्याण, बा०भी०अ०वि०, लखनऊ।
3. सहायक कुलसचिव, कुलपति सचिवालय, बा०भी०अ०वि०, लखनऊ।
4. कुलसचिव के निजी सचिव, बा०भी०अ०वि०, लखनऊ।
5. प्रभारी, विश्वविद्यालय वेबसाइट, बा०भी०अ०वि०, लखनऊ।
6. नोटिस बोर्ड/गार्ड फाइल।

**नोडल अधिकारी**
*(दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति)*

## (जांच सूची)

**छात्रों द्वारा छात्रवृत्ति (दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति) हेतु भरे जाने वाले आवेदन पत्र के साथ संलग्न किये जाने वाले अनुलग्नकों का विवरण**

**निर्देश – छात्र / छात्राएं कृपया बाक्स में √ या × करे।**

1. ऑनलाइन आवेदन फार्म का सुस्पष्ट प्रिन्ट आउट व संस्थान स्तर (विभागाध्यक्ष/समन्वयक) से प्रमाणित किया जाए। ☐
2. आय प्रमाण पत्र (सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गमित)। ☐
3. आय प्रमाण पत्र ऑनलाइन सत्यापित प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि । ☐
4. जाति प्रमाण पत्र (अधिकारी द्वारा निर्गमित सक्षम) । ☐
5. जाति प्रमाण पत्र आनलाइन सत्यापित प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि । ☐
6. खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा जारी किया हुआ राशन कार्ड की अभिप्रमाणित प्रतिलिपि अथवा पंचायती राज विभाग द्वारा जारी किया हुआ परिवार रजिस्टर की अभिप्रमाणित नकल। ☐
7. हाईस्कूल से लेकर गत वर्ष तक उत्तीर्ण पिछले शैक्षिक योग्यता के सभी अंकपत्र एवं प्रमाणपत्र की अभिप्रमाणित प्रतिलिपि ।
8. पाठ्यक्रम की ☐ रसीद की अभिप्रमाणित प्रतिलिपि । ☐
9. यदि छात्र हॉस्टल में आवासित है तो हॉस्टल द्वारा प्रदान की गयी शुल्क की रसीद की अभिप्रमाणित प्रतिलिपि । ☐
10. आवेदन पत्र के साथ दिये हुये संबंधित दस्तावेज/प्रपत्र की अभिप्रमाणित प्रतिलिपि। ☐
11. यदि दो कक्षाओं के बीच गैप हो तो तद्आशय का शपथ पत्र नोटरी द्वारा प्रमाणित। ☐
12. अनु० जा०/ अनु० जनजाति/सामान्य/ अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक के छात्रों द्वारा दिया जाने वाला घोषणा पत्र की उनके माता–पिता/अभिभावक की वार्षिक आय निर्धारित सीमा के अंतर्गत है और आवेदन पत्र के साथ संलग्न प्रमाण पत्रों का विवरण पूर्णतया सत्य एवं सही है। किसी भी प्रकार की त्रुटि/गलती पाये जाने पर वह स्वयं जिम्मेदार होगा।
13. छात्र द्वारा केनर ☐ बी॰बी॰ए॰यू॰, शाखा, लखनऊ में खोले गये खाते की पासबुक की प्रति । ☐
14. छात्र के माता/पिता अथवा अभिभावक द्वारा रू० 10/– के नान जूडिशियल स्टाम्प पेपर पर इस आशय का शपथ पत्र कि छात्र के आवेदन पत्र के साथ संलग्न आय प्रमाण पत्र में दर्शायी गयी आय समस्त श्रोतों से है एवं इसके अतिरिक्त आय का कोई श्रोत नहीं है। यदि किसी प्रकार की जांच में दर्शायी गयी आय गलत पायी जाती है, तो उसके लिए हस्ताक्षरकर्ता पूर्णतया जिम्मेदार होगा । ☐
15. अनु० जा०/ अनु० जनजाति के पात्र छात्रों को सपथ पत्र परिशिष्ट "ख" के अनुरूप को सम्पूर्ण भरकर एवं हस्ताक्षरित (प्रथम पक्ष–यथा छात्र व गवाह एवं द्वीतीय पक्ष–यथा विभागाध्यक्ष/पाठ्यक्रम समन्वयक व गवाह) प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।
16. सामान्य/अन्य पिछड़ा ☐ अल्पसंख्यक वर्ग/ अनु० जा०/ अनु० जनजाति के पात्र छात्रों को घोषणा पत्र (रू० 10/– के स्टाम्प पेपर पर) परिशिष्ट "घ"/"च" समक्ष संस्थाध्यक्ष/जिला समाज कल्याण अधिकारी (जैसा की लागू हो) के अनुरूप को सम्पूर्ण भरकर एवं हस्ताक्षरित प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। ☐
17. छात्र/छात्रा के आधार कार्ड की प्रमाणित प्रतिलिपि । ☐
18. माता/पिता/अभिभावक के आधार कार्ड की प्रमाणित प्रतिलिपि। ☐

## छात्र/छात्रा का विवरण

छात्र/छात्रा का नामः–

पाठ्यक्रम का नामः–

छात्रवृत्ति पंजीकरण संख्या :–

श्रेणी (वर्ग):–

विभाग का नामः–

मोबाइल न॰:–

उपस्थिति का प्रतिशतः– ☐

छात्र/छात्रा का हस्ताक्षर :–

अग्रसारित

समन्वयक/विभागाध्यक्ष हस्ताक्षर एवं मोहर

**छात्रों द्वारा छात्रवृत्ति (दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति) हेतु भरे जाने वाले आवेदन पत्र के साथ संलग्न किये जाने वाले अनुलग्नकों का विवरण**

1. आनलाइन आवेदन फार्म का सुस्पष्ट प्रिन्ट आउट।
2. आवेदन पत्र पर चस्पा फोटो पर अभ्यर्थी के हस्ताक्षर किये जाए व संस्थान स्तर से प्रमाणित किया जाए।
3. आय प्रमाण पत्र (सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गमित)।
4. जाति प्रमाण पत्र (सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गमित)।
5. खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा जारी किया हुआ राशन कार्ड/पंचायती राज विभाग द्वारा जारी किया हुआ परिवार रजिस्टर संख्या।
6. पिछले शैक्षिक योग्यता के प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति।
7. छात्र के आधार कार्ड की अभिप्रमाणित प्रतिलिपि।
8. यदि दो कक्षाओं के बीच गैप हो तो तद्आशय का शपथ पत्र नोटरी द्वारा प्रमाणित।
9. अनु० जा०/ अनु० जनजाति/सामान्य/ अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक के छात्रों द्वारा दिया जाने वाला घोषणा पत्र की उनके माता–पिता/अभिभावक की वार्षिक आय निर्धारित सीमा के अंतर्गत है और आवेदन पत्र के साथ संलग्न प्रमाण पत्रों का विवरण पूर्णतया सत्य एवं सही है। किसी भी प्रकार की त्रुटि/गलती पाये जाने पर वह स्वयं जिम्मेदार होगा।
10. पाठ्यक्रम की फीस रसीद एवं यदि छात्र हॉस्टल में आवासित है तो हॉस्टल द्वारा प्रदान की गयी शुल्क की रसीद की प्रति भी ।
11. छात्र द्वारा जनपद के संस्था के समीपस्थ राष्ट्रीयकृत बैंक अथवा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में खोले गये खाते की पासबुक की प्रति।
12. छात्र के माता–पिता अथवा अभिभावक द्वारा रू० **10**/– के नॉन जूडिशियल स्टांप पेपर पर्व इस आशय का शपथ–पत्र कि छात्र के आवेदन पत्र के साथ संलग्न आय प्रमाण पत्र में दर्शाई गयी आय समस्त स्रोतों से है एवं इसके अतिरिक्त आय का कोई स्रोत नही है । यदि किसी प्रकार की जांच में दर्शाई गयी आय गलत पायी जाती है, तो उसके लिए हस्ताक्षरकर्ता पूर्णतया जिम्मेदार होगा।

## छात्र एवं संस्था के मध्य अनुबंध पत्र
## (निर्धारित दर पर नान जूडिशियल स्टाम्प पेपर पर)

यह अनुबंध पत्र आज दिनांक ..... को कु॰/श्रीमती/श्री..... आयु..... वर्ष पुत्री / पत्नी / पुत्र श्री.....जाति.....निवासी ग्राम/मु॰..... डाकखाना..... ... तहसील..... जिला..... जिसे एतत्पश्चात प्रथम पक्ष कहा गया है।

**एवं**

(**2**).....(संस्थाध्यक्ष) पता..... जनपद.....(जहां छात्र/छात्रा अध्ययनरत है) जो केन्द्र/राज्य सरकार के द्वारा प्राधिकृत विश्वविद्यालय / बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त है, जिसे एतत्पश्चात द्वितीय पक्ष कहा गया है के मध्य निष्पादित किया जाता है।

चूँकि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दशमोत्तर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति छात्रवृत्ति संबंधी योजना संचालित है, जिसकी पात्रता संबंधी शर्ते आदि उत्तर प्रदेश दशमोत्तर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति छात्रवृत्ति योजना (तृतीय संशोधन नियमावली 2014) में उल्लिखित है। उक्त नियमावली के आलोक में दोनों पक्ष निम्नलिखित शर्तों को स्वीकार करते है :–

1. द्वितीय पक्ष प्रथम पक्ष को अपनी शैक्षणिक संस्थान में निःशुल्क प्रवेश उत्तर प्रदेश दशमोत्तर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति छात्रवृत्ति (अनुरक्षण भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति) विषयक नियमावली 2014 के अनुपालन में देगा।
2. प्रथम पक्ष, संदर्भित संस्था में निःशुल्क प्रवेश पाने पर निर्धरित समयावधि के अन्तर्गत उक्त छात्रवृत्ति (अनुरक्षण भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति) के निर्धारित आवेदन पत्र, समस्त वांछित अभिलेखों सहित संस्था में जमा करेगा एवं द्वितीय पक्ष द्वारा नामित अधिकारी प्रथम पक्ष को निर्धारित प्रारूप पर प्राप्ति रसीद देगा।
3. द्वितीय पक्ष उपयुर्क्त नियमावली के प्रावधान के अन्तर्गत प्रथम पक्ष की छात्रवृत्ति स्वीकृति हेतु वॉछित कार्यवाही सम्पन्न करायेगा।
4. प्रथम पक्ष के बैंक खाते में नियमावली के अनुसार देय छात्रवृत्ति (अनुरक्षण भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति) की धनराशि जमा हो जाने पर प्रथम पक्ष विलम्बतम 15 दिन के अंदर द्वितीय पक्ष द्वारा निर्धारित व्यवस्थानुसार शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि द्वितीय पक्ष के पक्ष में अन्तरित कर देगा।
5. प्रथम पक्ष संस्था में उत्तम कार्य व्यवहार एवं द्वितीय पक्ष द्वारा निर्धारित उपस्थिति के निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करेगा।
6. प्रथम पक्ष अपरिहार्य कारणों को छोड़कर द्वितीय पक्ष द्वारा आयोजित सेमेस्टर परीक्षा अथवा अर्द्धवार्षिक परीक्षा जो भी हो, में प्रतिभाग करेगा।
7. उत्तर प्रदेश दशमोत्तर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति छात्रवृत्ति (अनुरक्षण भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति) विषयक नियमावली 2018 की व्यवस्थानुसार यदि प्रथम पक्ष का आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जाता है तो ऐसी स्थिति में द्वितीय पक्ष/संस्था को देय समस्त शुल्क वहन करने का दायित्व प्रथम पक्ष का होगा।

**प्रथम पक्ष हस्ताक्षर**.....
**नाम**.....
**पिता/पति का नाम**.....
**पता**.....

**द्वितीय पक्ष हस्ताक्षर**.....
**नाम व पदनाम**.....
**पिता/पति का नाम**.....
**पता**.....

**साक्षी सं॰–2 हस्ताक्षर**.....
**नाम**.....
**पिता/पति का नाम**.....
**पता**.....

**साक्षी सं॰–2 हस्ताक्षर**.....
**नाम व पदनाम**.....
**पिता/पति का नाम**.....
**पता**.....

**अनु॰जाति/अनु॰ज॰जाति छात्र/छात्रा द्वारा देय घोषणा पत्र (रू॰ 10/– के स्टाम्प पेपर पर) समक्ष संस्थाध्यक्ष/जिला समाज कल्याण अधिकारी (जो उचित हो)**

मैं.....पुत्र/पुत्री श्री..... जो ग्राम..... मुहल्ला.....जनपद..... का निवासी हूँ। शपथ पूर्वक निम्नलिखित बयान करता हूँ:–

1. यह कि मै ग्राम.....मुहल्ला.....तहसील.....जिला..... उत्तर प्रदेश का मूल निवासी हूँ । (आय/जाति/सामान्य निवास प्रमाण पत्र सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त संलग्न है)
2. यह कि मै उत्तर प्रदेश राज्य में विनिर्दिष्ट अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का हूँ ।(तहसीलदार द्वारा प्रदत्त जाति प्रमाण पत्र संलग्न है)
3. यह कि मेरे माता पिता, विधिक अभिभावक की समस्त स्रोतों से वार्षिक आय रूपया दो लाख पचास हजार या इससे कम है। (तहसीलदार द्वारा प्रदत्त आय प्रमाण पत्र संलग्न है)
4. यह कि सम्प्रति मैं.....शैक्षिक संस्थान के ..... पाठ्यक्रम में ..... ..... वर्ष में संस्थागत छात्र के रूप में अध्ययनरत हूँ । संस्था ..... विश्वविद्यालय/बोर्ड से मान्यता प्राप्त है।
5. यह कि मैंने उक्त विश्वविद्यालय /बोर्ड में पंजीयन हेतु आवेदन कर दिया है। पंजीयन प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर संस्था को ससमय उपलब्ध करा दूँगा ।
6. यह कि मैंने पिछली परीक्षा..... वर्ष में उत्तीर्ण की है। गैप के संबंध में अलग से घोषणा पत्र औचित्य सहित प्रस्तुत है।
7. यह कि मुझे कोई दूसरी छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है।
8. यह कि मेरा बचत खाता संख्या ..... बैंक ..... के .....शाखा में खुला हुआ है।
9. यह कि उक्त संस्था द्वारा मुझें निःशुल्क/सशुल्क प्रवेश दिया गया है।

उक्त घोषणा पत्र में बिन्दु संख्या **1** से **9** तक में वर्णित सभी तथ्य सही एवं मेरी पूर्ण जानकारी में है इसमें कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है।

दिनाँक : .....

छात्र/छात्रा के हस्ताक्षर.....

नाम.....

पिता/पति का नाम.....

पता.....

**सामान्य वर्ग के छात्र/छात्रा द्वारा देय घोषणा पत्र (रू॰ 10/– के स्टाम्प पेपर पर) समक्ष संस्थाध्यक्ष/जिला समाज कल्याण अधिकारी (जो उचित हो)**

मैं.....पुत्र/पुत्री श्री..... जो ग्राम..... मुहल्ला.....जनपद..... का निवासी हूँ । शपथ पूर्वक निम्नलिखित बयान करता हूँ–

1. यह कि मै ग्राम.....मुहल्ला.....तहसील.....जिला..... उत्तर प्रदेश का मूल निवासी हूँ । (आय/सामान्य निवास प्रमाण पत्र सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त संलग्न है)
2. यह कि मै उत्तर प्रदेश राज्य में विनिर्दिष्ट सामान्य वर्ग का हूँ ।
3. यह कि मेरे माता पिता, विधिक अभिभावक की समस्त स्रोतों से वार्षिक आय रूपया दो लाख या इससे कम है। (तहसीलदार द्वारा प्रदत्त आय प्रमाण पत्र संलग्न है)
4. यह कि सम्प्रति मैं.....शैक्षिक संस्थान के ..... पाठ्यक्रम में ..... ..... वर्ष में संस्थागत छात्र के रूप में अध्ययनरत हूँ । संस्था ..... ..... विश्वविद्यालय/बोर्ड से मान्यता प्राप्त है।
5. यह कि मैंने उक्त विश्वविद्यालय /बोर्ड में पंजीयन हेतु आवेदन कर दिया है। पंजीयन प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर संस्था को ससमय उपलब्ध करा दूंगा ।
6. यह कि मैंने पिछली परीक्षा..... वर्ष में उत्तीर्ण की है। गैप के संबंध में अलग से शपथ पत्र औचित्य सहित प्रस्तुत है।
7. यह कि मुझे कोई दूसरी छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है।
8. यह कि मेरा बचत खाता संख्या ..... बैंक ..... के .....शाखा में खुला हुआ है।
9. यह कि उक्त संस्था द्वारा मुझे प्रवेश दिया गया है।

उक्त शपथ पत्र में **1** से **9** तक में वर्णित सभी तथ्य सही एवं मेरी पूर्ण जानकारी में है इसमें कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है। ईश्वर हमारी मदद करे।

दिनाँक : .....

शपथी के हस्ताक्षर.....

नाम.....

पिता/पति का नाम.....

पता.....

**<u>अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्रा द्वारा देय घोषणा पत्र</u> (रू॰ 10/– के स्टाम्प पेपर पर) समक्ष संस्थाध्यक्ष/जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी (जो उचित हो)**

मैं.....पुत्र/पुत्री श्री..... जो ग्राम..... ..... मुहल्ला.....जनपद..... का निवासी हूँ । शपथ पूर्वक निम्नलिखित बयान करता हूँ–

1. यह कि मै ग्राम.....मुहल्ला.....तहसील.....जिला..... उत्तर प्रदेश का मूल निवासी हूँ । (सामान्य निवास प्रमाण पत्र सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त संलग्न है)
2. यह कि मै उत्तर प्रदेश राज्य में विनिर्दिष्ट अन्य पिछड़ा वर्ग का हूँ ।
3. यह कि मेरे माता पिता, विधिक अभिभावक की समस्त स्रोतों से वार्षिक आय रूपया दो लाख या इससे कम है। (तहसीलदार द्वारा प्रदत्त आय प्रमाण पत्र संलग्न है)
4. यह कि सम्प्रति मैं.....शैक्षिक संस्थान के ..... पाठ्यक्रम में ..... .... वर्ष में संस्थागत छात्र के रूप में अध्ययनरत हूँ । संस्था..... विश्वविद्यालय/बोर्ड से मान्यता प्राप्त है।
5. यह कि मैंने उक्त विश्वविद्यालय/बोर्ड में पंजीयन हेतु आवेदन कर दिया है। पंजीयन प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर संस्था को ससमय उपलब्ध करा दूँगा ।
6. यह कि मैंने पिछली परीक्षा..... वर्ष में उत्तीर्ण की है। गैप के संबंध में अलग से शपथ पत्र औचित्य सहित प्रस्तुत है।
7. यह कि मुझे कोई दूसरी छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है। यदि कोई अन्य छात्रवृत्ति जो इस योजना से अधिक लाभप्रद है।
8. यह कि मेरा बचत खाता संख्या ..... बैक..... .....के .....शाखा में खुला हुआ है।
9. उक्त शपथ पत्र में 1 से 9 तक में वर्णित सभी तथ्य सही एवं मेरी पूर्ण जानकारी में है इसमें कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है। अन्य पिछड़ा वर्ग से हूँ । ईश्वर हमारी मदद करे।

दिनाँक : .....

शपथी के हस्ताक्षर.....

नाम.....

पिता/पति का नाम.....

पता.....

**<u>परिशिष्ट–"घ"</u>**

**अल्पसंख्यक वर्ग के छात्र/छात्रा द्वारा देय घोषणा पत्र (रू॰ 10/– के स्टाम्प पेपर पर) समक्ष संस्थाध्यक्ष/जिला अलपसंख्यक कल्याण अधिकारी (जो उचित हो)**

मैं.....पुत्र/पुत्री श्री..... जो ग्राम..... मुहल्ला.....जनपद..... का निवासी हूँ । शपथ पूर्वक निम्नलिखित बयान करता हूँ–

1. यह कि मै ग्राम.....मुहल्ला.....तहसील.....जिला..... उत्तर प्रदेश का मूल निवासी हूँ । (सामान्य निवास प्रमाण पत्र सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त संलग्न है)
2. यह कि मै उत्तर प्रदेश राज्य में विनिर्दिष्ट अल्पसंख्यक वर्ग का हूँ ।(तहसीलदार द्वारा प्रदत्त जाति प्रमाण पत्र संलग्न है)
3. यह कि मेरे माता पिता, विधिक अभिभावक की समस्त स्रोतों से वार्षिक आय रूपया दो लाख या इससे कम है।(तहसीलदार द्वारा प्रदत्त आय प्रमाण पत्र संलग्न है)
4. यह कि सम्प्रति मैं.....शैक्षिक संस्थान के ..... पाठ्यक्रम में ..... वर्ष में संस्थागत छात्र के रूप में अध्ययनरत हूँ । संस्था..... ..... विश्वविद्यालय/बोर्ड से मान्यता प्राप्त है।
5. यह कि मैंने उक्त विश्वविद्यालय /बोर्ड में पंजीयन हेतु आवेदन कर दिया है। पंजीयन प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर संस्था को ससमय उपलब्ध करा दूँगा ।
6. यह कि मैंने पिछली परीक्षा ..... वर्ष में उत्तीर्ण की है। गैप के संबंध में अलग से शपथ पत्र औचित्य सहित प्रस्तुत है।
7. यह कि मुझे कोई दूसरी छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है। यदि कोई अन्य छात्रवृत्ति जो इस योजना से अधिक लाभप्रद है।
8. यह कि मेरा बचत खाता संख्या ..... बैंक ..... . के .....शाखा में खुला हुआ है।
9. यह कि उक्त संस्था द्वारा मुझे प्रवेश दिया गया है। उक्त शपथ पत्र में 1 से 9 तक में वर्णित सभी तथ्य सही एवं मेरी पूर्ण जानकारी में है इसमें कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है। ईश्वर हमारी मदद करे।

दिनाँक : .....

शपथी के हस्ताक्षर.....

नाम.....

पिता/पति का नाम.....

पता.....

**<u>माता–पिता/अभिवावक</u> द्वारा शपथ पत्र (रू॰ 10/– के स्टाम्प पेपर पर) समक्ष संस्थाध्यक्ष / जिला समाज कल्याण अधिकारी / जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी / जिला अलपसंख्यक कल्याण अधिकारी (जो उचित हो)**

मै ..... पुत्र / पुत्री ..... जो ग्राम ..... मोहल्ला ..... जनपद..... का निवासी हूँ । शपथ पूर्वक निम्न बयान करता हूँ ।

1. यह कि मेरा पुत्र/पुत्री..... आपकी संस्था मे ..... के..... वर्ष मे अध्ययनरत है ।
2. यह कि शपथी के पुत्र/पुत्री ने छात्रवृत्ति हेतु आवेदन किया है । आवेदन पत्र के साथ संलग्न आय, जाति प्रमाण पत्र व अन्य प्रमाण पत्र सही है तथा सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किये गए है । प्रपत्र संलग्न है ।
3. यह कि मेरा पुत्र/पुत्री द्वारा आवेदन पत्र के साथ संलग्न आय प्रमाण पत्र मे दर्शायी गयी आय रू॰ .....समस्त स्रोतो से है एवं इसके अतिरिक्त आय का कोई अन्य स्रोत नहीं है यदि किसी प्रकार की जाँच मे दर्शायी गयी आय गलत पायी जाति है तो उसके लिए हस्ताक्षरकर्ता पूर्णतया जिम्मेदार होगा ।
4. यह कि शपथी के पुत्र पुत्री को किसी अन्य संस्था से छात्रवृत्ति नही प्राप्त होती है ।
5. यह कि शपथी ने कोई गलत बयान नही किया है ।

स्थान.....

दिनाँक .....

शपथी

**<u>सत्यापन</u>**

मै शपथी उपरोक्त सत्यापित करता हूँ कि शपथ पत्र मे वर्णित सभी तथ्य सही है कोई भी तथ्यपरक जानकारी छिपाई नहीं गयी है । आज दिनांक ..... को अपने हस्ताक्षर द्वारा सत्यापित किया ।

स्थान.....

दिनाँक .....

शपथी.....

संख्या–98 / 2022 / 1970 / 26–3–2022–4(358) / 07 टी.सी. ।।।

प्रेषक,

रजनीश चन्द्र,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1– निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
2– निदेशक, जनजाति विकास, उ0प्र0 लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग–3 लखनऊ : दिनांक 29 अगस्त 2022

विषयः **वित्तीय वर्ष / शैक्षिक सत्र 2022–23 हेतु प्रदेश के अन्दर तथा वाह्य प्रदेश में अध्ययनरत उ0 प्र0 के मूल निवासी छात्रों हेतु दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति (कक्षा 11–12 एवं अन्य दशमोत्तर कक्षाओं सहित) से सम्बन्धित पाठ्यक्रमों का मास्टर डाटाबेस तैयार करने हेतु प्रस्तावित संशोधित समय–सारिणी निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय, समाज कल्याण के पत्रांक–2194 / स0क0 / शिक्षा–अ / 7 / 76 / 2022–23, दिनांक–23.08.2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से वित्तीय वर्ष / शैक्षिक सत्र 2022–23 हेतु प्रदेश के अन्दर तथा वाह्य प्रदेश में अध्ययनरत उ0 प्र0 के मूल निवासी छात्रों हेतु दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति (कक्षा 11–12 एवं अन्य दशमोत्तर कक्षाओं सहित) से सम्बन्धित पाठ्यक्रमों का मास्टर डाटाबेस तैयार करने हेतु प्रस्तावित संशोधित समय–सारिणी निर्गत किये जाने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2– निदेशक, समाज कल्याण द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के क्रम में शासनादेश संख्या–47 / 2022 / 902 / 26–3–2022–4 (358) / 07टी0सी0–III दिनांक 02–05–2022 द्वारा निर्गत समय–सारिणी में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है:–

| **क्र0 सं0** | **प्रक्रियात्मक कार्यवाही** | **प्रथम चरण हेतु समयावधि कक्षा 11-12 एवं अन्य समस्त दशमोत्तर कक्षाओं हेतु (2022-23)** | **द्वितीय चरण हेतु समयावधि कक्षा 11-12 एवं अन्य समस्त दशमोत्तर कक्षाओं हेतु (2022-23)** | **संशोधित समयावधि कक्षा 11-12 एवं अन्य समस्त दशमोत्तर कक्षाओं हेतु (2022-23)** |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | प्रदेश में स्थित मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों द्वारा मास्टर डाटा बेस में सम्मिलित होने के लिये आवेदन करने की कार्यवाही शिक्षा विभाग/ विश्वविद्यालय/एफिलियेटिंग एजेंसी के माध्यम से किया जाना तदोपरान्त जिला समाज कल्याण अधिकारी से पासवर्ड प्राप्त करना (नवीन संस्थायें)।<br>मास्टर डाटा में सम्पूर्ण सूचनायें | 05 मई 2022 से 06 जून 2022 तक। | 11 जुलाई 2022 से 22 अगस्त 2022 तक। | 13 सितम्बर 2022 तक। |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | भरकर/अपलोड करके डिजिटल हस्ताक्षर से प्रमाणित करना। मास्टर डाटा में पूर्व से सम्मिलित संस्थाओं द्वारा पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम का प्रकार, पाठ्यक्रमवार कुल सीटों की संख्या, सक्षम स्तर से निर्धारित शुल्क, पाठ्यक्रमवार पूर्णांक (सेमेस्टर की दशा में दो सेमेस्टर के अंकों को मिलाते हुये), पाठ्यक्रमवार एफिलियेटिंग एजेन्सी/विश्वविद्यालय के नाम एवं आइस कोड (AISHE CODE) आदि सूचनाओं को अंकित/अद्यतन करके डिजिटल हस्ताक्षर से प्रमाणित करना। | | | |
| **1ए** | प्रदेश के बाहर की नवीन शासकीय (Govt) व शासकीय सहायता (Govt Aided) प्राप्त संस्थायें योजनाधिकारी (बाह्य प्रदेश छात्रवृत्ति) निदेशालय, समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ से पासवर्ड प्राप्त करने हेतु ऑनलाईन एवं हार्डकापी स्पीड पोस्ट (निदेशक, समाज कल्याण,उत्तर प्रदेश, 3-प्राग नरायन रोड, कल्याण भवन, लखनऊ-226001) से | 05 मई 2022 से 31 मई 2022 तक। | 11 जुलाई 2022 से 22 अगस्त 2022 तक। | 13 सितम्बर 2022 तक। |
| **1 बी** | योजनाधिकारी (बाह्य प्रदेश छात्रवृत्ति) से पासवर्ड प्राप्त करके (नवीन संस्थायें) मास्टर डाटा में सम्पूर्ण सूचनायें भरकर/अपलोड करके डिजिटल हस्ताक्षर से प्रमाणित करना। समस्त संस्थाओं (नवीन एवं पूर्व से पासवर्ड प्राप्त पुरानी संस्थाओं) द्वारा पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम का प्रकार, पाठ्यक्रमवार कुल सीटों की संख्या, सक्षम स्तर से निर्धारित शुल्क, पाठ्यक्रमवार पूर्णांक (सेमेस्टर की दशा में दो सेमेस्टर के अंकों को मिलाते हुये), पाठ्यक्रमवार एफिलियेटिंग एजेन्सी/विश्वविद्यालय के नाम आइस कोड (AISHE CODE) आदि सूचनाओं को अंकित करना। | ***05 मई 2022 से 06 जून 2022 तक। (नोटः-राज्य से बाहर की पूर्व से पासवर्ड प्राप्त पुरानी संस्थाओं द्वारा समस्त सूचनाओं को ऑनलाईन अंकित कर डिजिटल हस्ताक्षर से प्रमाणित किया जा सकता है।)*** | ***11 जुलाई 2022 से 25 अगस्त 2022 तक। (नोटः-राज्य से बाहर की पूर्व से पासवर्ड प्राप्त पुरानी संस्थाओं द्वारा समस्त सूचनाओं को ऑनलाईन अंकित कर डिजिटल हस्ताक्षर से प्रमाणित किया जा सकता है।)*** | ***16 सितम्बर 2022 तक। (नोटः-राज्य से बाहर की पूर्व से पासवर्ड प्राप्त पुरानी संस्थाओं द्वारा समस्त सूचनाओं को ऑनलाईन अंकित कर डिजिटल हस्ताक्षर से प्रमाणित किया जा सकता है।)*** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | प्रदेश के अन्दर सम्बन्धित विश्वविद्यालय एवं अन्य एफिलियेटिंग एजेन्सी के नोडल अधिकारी एवं जिला विद्यालय निरीक्षक (कक्षा 11-12 हेतु) तथा जिला समाज कल्याण अधिकारी (केवल नियमावली में उल्लिखित संस्थानों हेतु) द्वारा शिक्षण संस्था, पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम का प्रकार, सीटों की संख्या एवं फीस आदि को अंकित कर उसकी प्रमाणिकता को डिजिटल हस्ताक्षर से ऑनलाईन सत्यापित करना। | 07 जून 2022 से 30 जून 2022 तक। | 23 अगस्त 2022 से 26 सितम्बर 2022 तक। | 14 सितम्बर 2022 से 17 अक्टूबर 2022 तक। |
| 2ए | योजनाधिकारी, बाह्य प्रदेश छात्रवृत्ति (अन्य प्रदेशों में स्थित शासकीय एवं शासकीय सहायता प्राप्त संस्थानों हेतु) द्वारा सभी संस्थानों के प्रकार, पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम का प्रकार, सीटों की संख्या एवं फीस का विवरण प्राप्त अभिलेखों के आधार पर आनलाइन लाक किया जाना। | 07 जून 2022 से 15 जुलाई 2022 तक। | 26 अगस्त 2022 से 26 सितम्बर 2022 तक। | 17 सितम्बर 2022 से 17 अक्टूबर 2022 तक। |
| 3 | प्रदेश के अन्दर सम्बन्धित विश्वविद्यालय एवं अन्य एफिलियेटिंग एजेन्सी के नोडल अधिकारी द्वारा शिक्षण संस्था, पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम का प्रकार एवं अंकित फीस आदि की प्रमाणिकता को संबंधित शिक्षा विभाग के विभागाध्यक्ष द्वारा ऑनलाईन सत्यापित करना। | 01 जुलाई 2022 से 21 जुलाई 2022 तक। | 27 सितम्बर 2022 से 03 नवम्बर 2022 तक। | 18 अक्टूबर 2022 से 22 नवम्बर 2022 तक। |
| 3ए | जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति से पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम के प्रकार, सक्षम स्तर से अनुमोदित सीटों की संख्या तथा सत्यापित फीस का आनलाइन प्रारूप पर अनुमोदन प्राप्त कर जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी एवं जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के सहयोग से सभी संस्थानों के प्रकार, पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम का प्रकार, सीटों की संख्या एवं फीस का विवरण (विश्वविद्यालय / | 01 जुलाई 2022 से 21 जुलाई 2022 तक। | 27 सितम्बर 2022 से 03 नवम्बर 2022 तक। | 18 अक्टूबर 2022 से 22 नवम्बर 2022 तक। |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | अफिलियेटिंग एजेन्सी द्वारा लॉक की गयी सीट संख्या एवं फीस से अधिक लॉक न की जाय) ऑनलाईन लॉक किया जाना। | | | |

नोटः–

छात्रों द्वारा ऑनलाईन आवेदन सहित समस्त अन्य कार्यवाही आदि हेतु शासनादेश संख्या–47/2022/902/26–3–2022–4(358)/07 टी0सी0III दिनांक 02 मई, 2022 को जारी समय–सारिणी में दी गयी समयावधि एवं अन्य शर्तें यथावत रहेगी।

3– उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपरोक्त संशोधित समय–सारिणी का अपने स्तर से प्रचार–प्रसार कराते हुये सुसंगत छात्रवृत्ति नियमावलियों में उल्लखित प्राविधानों के अनुसार शैक्षिक सत्र 2022–23 में दशमोत्तर योजना का क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
Signed by रजनीश चन्द्र
(रजनीश चन्द्र)
Date: 29-08-2022 18:33:14
विशेष सचिव
Reason: Approved

पृ0सं0– 98 /2022/1970 (1)/26–3–2022 तद्दिनांकः–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज।
2– प्रमुख सचिव/सचिव, पिछड़ा वर्ग कल्याण/अल्पसंख्यक कल्याण/वित्त/नियोजन/मा0शिक्षा/उच्च शिक्षा/तकनीकी शिक्षा/व्यवसायिक शिक्षा/चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
3– समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ0प्र0 द्वारा निदेशक, समाज कल्याण।
4– निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
5– निदेशक, कोषागार, उ0प्र0लखनऊ।
6– निदेशक, पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0लखनऊ।
7– मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
8– निदेशक, एन0आई0सी0 राज्य इकाई, योजना भवन, लखनऊ।
9– समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उ0प्र0 द्वारा निदेशक, समाज कल्याण।
10– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(रजनीश चन्द्र)
विशेष सचिव।

**निदेशालय समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश।**

पत्रांक–सी-2276/स0क0/शिक्षा–अ/7/76/2022–23
लखनऊ, दिनांकः 29 अगस्त, 2022

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, अल्पसंख्यक कल्याण/ समाज कल्याण/पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग।
2– समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3– निदेशक, पिछड़ा वर्ग कल्याण/अल्पसंख्यक कल्याण/जनजाति विकास विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

4— निदेशक, उच्च शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा, व्यवसायिक शिक्षा व बेसिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश।

5— समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

6— समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

7— राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी/वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, राज्य सूचना विज्ञान केन्द्र (राज्य इकाई), योजना भवन, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि समय–सारिणी के शासनादेश संख्या–98/2022/1970/26–3–2022–4(358)/07 III टी0सी दिनांक 29.08.2022 की प्रति छात्रवृत्ति वेबसाइट पर अपलोड करने के साथ–साथ करने के साथ–साथ तद्नुसार आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

8— महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा, उ0प्र0।

9— रजिस्ट्रार, आयुर्वेद एवं यूनानी तिब्बी, योगा सिद्ध बोर्ड, उ0प्र0।

10— वित्त नियंत्रक, मुख्यालय।

11— समस्त मण्डलीय उपनिदेशक, समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश।

12— समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उत्तर प्रदेश को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि जनपद में स्थित विश्वविद्यालय एवं अन्य एफिलियेटिंग एजेंसी तथा अन्य शिक्षण संस्थानों में व्यापक प्रचार–प्रसार कराते हुए संबंधित को अपने स्तर से सूचित करने का कष्ट करें।

29/8/2022

(राकेश कुमार)
निदेशक